

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा, पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों से प्राप्त किये गए अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन को चार भागों में बाँटा गया है:

अध्याय 1-विहंगावलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2-राज्य का वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रुपरेखा और लोक लेखे के प्रमुख लेनदेनों, मुख्य रूप से राज्य के वित्त लेखों पर आधारित, का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3-बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय 4-लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग: यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

राज्य सरकार की उपलब्धियां

वर्ष 2020-21 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (37.64 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.00 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 2.7.2)

राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

(अनुच्छेद 4.9)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है।

जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में 3.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 6.20 प्रतिशत हो गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (42.37 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (38.20 प्रतिशत) से अधिक था।

(अनुच्छेद 1.5)

राज्य का वित्त

राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 5,805.93 करोड़ (4.14 प्रतिशत) की कमी हुई है, तथापि राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,824.31 करोड़ (1.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसके कारण राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.2.1 एवं 2.4.2)

पूँजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 552.44 करोड़ (3.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.4.3.1)

बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार के वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे और बजट तैयार करने और निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए बजट पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाने के बावजूद, बजटीय अनुमान एक स्तर तक सही नहीं थे, और बजट के निष्पादन और अनुश्रवण पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

वर्ष के दौरान ₹ 27,052 करोड़ (10.08 प्रतिशत) की बचत हुई और ₹ 36,253.96 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए। आगे, वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुपूरक अनुदान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए। पिछले कई वर्षों से इन मामलों को प्रत्येक वर्ष उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

आवंटन के साथ-साथ व्यय में विचलन के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये। इस संबंध में जन लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों के मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 3.5.1)

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

आरक्षित निधि/जमा निधि में उपकर/अधिभार की अहस्तांतरित राशि इंगित करती है कि राज्य सरकार का राजस्व/राजकोषीय घाटा अहस्तांतरित राशि की सीमा तक कम किया गया है और राज्य सरकार की ओर से बकाया देयता का प्रतिनिधित्व करता है।

(अनुच्छेद 4.1)

विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत नहीं करना और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं करना, निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था जो कि राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र की ओर इशारा करता है।

(अनुच्छेद 4.4, 4.5 एवं 4.13)